

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

Email- establishment-tcp@mp.gov.in , Phone No. 0755-2427091

क्रमांक/ 45 /स्था./नग्रानि/2026

भोपाल,दिनांक 06/7/2026

// कार्यालयीन आदेश //

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 06.07.2026 में की गई अनुशंसा के अनुक्रम में निम्नलिखित सहायक ग्रेड-2 को दिनांक 01.01.2026 से स्थानापन्न रूप से सहायक ग्रेड-1 के पद पर वेतनमान लेवल-07 रु- 28700-91300 में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शित कार्यालय में आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:

क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नित उपरान्त नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती रीता मिश्रा	जि.का. रीवा	सेवानिवृत्त दिनांक 31.01.2026
2	श्री दिनेश ठोम्बरे	मुख्यालय, भोपाल	मुख्यालय, भोपाल
3	श्री राम सिंहासन मेहता	मुख्यालय, भोपाल	मुख्यालय, भोपाल
4	श्री सखावत खान	जि.का. ग्वालियर	जि.का. ग्वालियर
5	श्रीमती कैलाशी कुशवाह	मुख्यालय, भोपाल	मुख्यालय, भोपाल
6	कु. रेखा जवंजाल	मुख्यालय, भोपाल	मुख्यालय, भोपाल

2- उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होंगी।

3- प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा किये गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उप धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

4- जिन पदोन्नत शासकीय सेवकों को इस आदेश द्वारा स्वीकृत वेतनमान अथवा इससे उच्च वेतनमान पूर्व में समयमान वेतनमान योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा चुका है, उन्हें छोड़कर शेष पदोन्नत शासकीय सेवकों को वेतन निर्धारण के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के नियम-13 अनुसार आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त पदोन्नत पद का वास्तविक रूप से वेतनमान का लाभ उक्त पद पर कार्यभार के दिनांक से देय होगा।

5- यह पदोन्नित आदेश मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के उपबंधों/नियमों के प्रावधानानुसार विशेष रूप से नियम-5 अनुसार आरक्षित वर्ग की गणना (X=1, Y=1) उपरांत तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 3/1/2/0366/2025-जीएडी-3-01 दिनांक 30.06.26 के साथ संलग्न माननीय महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश का पत्र क्र. 4829 दिनांक 29.06.2026 एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. एस. वैद्यनाथन की विधिक राय के अनुसरण में लंबित विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 13954/2016 तथा मध्यप्रदेश शासन विरुद्ध विनय कुमार बबेले एस.एल.पी. (सिविल) क्र. 5868/2023 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में पदोन्नति के संबंध में लंबित अन्य याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगी।

6/- उपरोक्त कर्मचारियों को वास्तविक रूप से पदोन्नत पद के वेतनमान का लाभ उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण की दिनांक से देय होगा। इन कर्मचारियों को पदोन्नति दिनांक एवं कार्यग्रहण ग्रहण करने की दिनांक के बीच की अवधि के वेतन भत्ते एरियर आदि "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धांत के आधार पर देय नहीं होंगे, किन्तु उन्हें वेतन निर्धारण का लाभ पदोन्नति दिनांक से देय होगा।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

पृष्ठा. क्रमांक/स्था./न्यानि/2026 भोपाल, दिनांक 06/7/2026
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. संयुक्त संचालक, (स्था.) संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
3. संयुक्त संचालक, (आई.टी.) संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर।
5. कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल, भोपाल ।
6. कोषालय, अधिकारी, जिला कोषालय, ग्वालियर।
7. सर्व संबंधित कर्मचारियों को उनके नाम से ।
8. कक्ष प्रभारी(स्था./लेखा/आई.टी.)संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
9. सेवा पुस्तिका/ रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल